भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1756

उत्तर देने की तारीख: 10.02.2026

अत्याचार निवारण

1756. डॉ. मल्लू रवि:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान तेलंगाना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की नगरकुरनूल सहित जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) उन मामलों की संख्या कितनी है, जिनमें साठ दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल किए गए, विचारण पूरे हुए और दोषसिद्धि हो गई;

(ग) नगरकुरनूल में ऐसे मामलों की राज्य और राष्ट्रीय औसत की तुलना में दोषसिद्धि दर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मामलों के लिए कार्यशील अनन्य विशेष न्यायालयों और विशेष लोक अभियोजकों की संख्या कितनी है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'भारत में अपराध' में अपराधों के बारे में वर्ष-वार सांख्यिकीय आंकड़े संकलित कर प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2023 तक उपलब्ध हैं। वर्ष 2023 के लिए एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत तेलंगाना में दर्ज किए गए मामलों की संख्या 2284 और नगरकुरनूल जिले में दर्ज किए गए मामलों की संख्या 51 है।

(ख): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 के दौरान तेलंगाना में 1555 आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं और 1136 मामलों में विचारण पूरा हो चुका है। वर्ष 2023 के दौरान 58 मामलों में दोषसिद्धि हुई है।

(ग): तेलंगाना राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2023 के दौरान नगरकुरनूल जिले में किसी भी मामले में दोषसिद्धि नहीं हुई है। 2023 के लिए एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, तेलंगाना राज्य में दोषसिद्धि दर अनुसूचित जाति के लिए 4.2% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.7% है। इसी तरह, राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जातियों के लिए दोषसिद्धि दर 31.9% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 24.6% है।

(घ): तेलंगाना राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, नगरकुरनूल जिले में कोई अनन्य विशेष न्यायालय नहीं है और विशेष लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किए गए हैं। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों को संभालने (हैंडल करने) के लिए द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय, महबूबनगर और जिला न्यायालय महबूबनगर में अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) हैं।

*****